न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 735/2018

1. घासीराम पुत्र स्व. रामचन्द्र
2. पांचूराम पुत्र स्व. रामचन्द्र
3. भैरूलाल पुत्र स्व. रामचन्द्र
4. छोटा पुत्री बींज्या
   गोद पुत्री सुवा जी पत्नि श्री मांजी
5. लादूराम पुत्र स्व. सुआजी
6. रामदेव पुत्र स्व. सुआजी
   समस्त जाति गुर्जर, निवासीः ग्राम मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. सायर पुत्र स्व. लालू
2. छीतर पुत्र स्व. नारायण
3. रामचन्द्र पुत्र स्व. गोरधन (फौत)
   3/1 भंवर पुत्र स्व. रामचन्द्र
   3/2 देवा पुत्र स्व. रामचन्द्र
   3/3 राजू पुत्र स्व. रामचन्द्र
   समस्त निवासीः ग्राम जलोई, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. नन्दा पुत्र स्व. नानगा (हजफ)
5. रामगोपाल उर्फ गोपाल (अविवाहित फौत)
   5/1 सरजू पुत्र स्व. बालाबख्श
6. रामकरण पुत्र स्व. बालाबख्श
7. कजोड पुत्र स्व. बालाबख्श
8. शंकर पुत्र कल्याण उर्फ कल्ला
9. घासीराम पुत्र स्व. जगन्नाथ
10. रामफूल पुत्र स्व. जगन्नाथ
11. बाबू उर्फ रामलाल पुत्र स्व. जगन्नाथ
12. कैलाश पुत्र स्व. रामप्रसाद
13. छोटूराम पुत्र स्व. रामप्रसाद
14. गिरधारी पुत्र स्व. रामप्रसाद
15. लक्ष्मण पुत्र स्व. रामप्रसाद
16. रमेश पुत्र स्व. रामप्रसाद
17. कालूराम पुत्र स्व. नारायण
18. श्योजीराम पुत्र स्व. नारायण
19. देवीराम उर्फ देबू पुत्र स्व. नारायण
20. पांचू पुत्र स्व. नारायण
21. बाबूलाल पुत्र स्व. रामनाथ
22. हीरा पुत्र स्व. रामनाथ
23. हीरा पुत्र स्व. रामनाथ
24. श्रीमती प्रभु पत्नि स्व. रामेश्वर
25. मालीराम पुत्र स्व. श्री रामेश्वर जरिये वली माता श्रीमती प्रभु
26. श्रीमती सोनी पत्नि लाल्या उर्फ लालू

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

समस्त जाति गुर्जर, निवासीः ग्राम जलाई, तन महेशवासकलां, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

27. ग्राम पंचायत रोजदा, पंचायत महेशवास, जरिये सरपंच।

28. सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 15.06.2018 न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर, जिला जयपुर प्रार्थना पत्र संख्या 72/2008 उनवानी घासीराम व अन्य बनाम सायर व अन्य अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री महेन्द्र सिंह पवार एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स

श्री हनुमान प्रसाद चौधरी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2, 6, 8, 10 व 14

निर्णय दिनांकः 26.12.2019

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट्स की ओर से एक अपील न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर, जिला जयपुर के प्रार्थना पत्र संख्या 72/2008 बउनवानी घासीराम व अन्य बनाम सायर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2018 के विरूद्व अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। मूल्या पुत्र स्व. सूरजकरण उर्फ श्योबक्श करीबन 45 वर्ष पूर्व नाऔलाद फौत हो चुके है तथा मृतक मूल्या की विवादग्रस्त आराजीयात पर स्वर्गीय बरधा के वारिसान प्रार्थीगण एवं स्व. देवा व स्वर्गीय बीज्या के वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 25 समान रूप से 1/3, 1/3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। स्वर्गीय मूल्या पुत्र श्योबक्श जाति गुर्जर के सगे दादा स्व. देवा एवं उसके सगे चाचा बीज्या व बरधा थे एवं स्व. बिरधा के वारिसान प्रार्थीगण है तथा अप्रार्थीगण 1 लगायत 25 स्व. देवा एवं स्व. बीज्या के वारिसान है। स्वर्गीय मूल्या ने अपने जीवन काल में किसी को गोद नहीं लिया बल्कि स्व. देवा एवं बीज्या एवं बिरधा के वारिसान समान रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। स्व. मूल्या पुत्र श्योबक्श की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 285, 319, 336, 343, 346, 347, 348, 349, 350 एवं 262 कुल किता 10 कुल रकबा 23 बीघा 5 बिस्वा जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण समान रूप से काबिज है तथा स्वर्गीय देवा बिज्या एवं बरधा के वारिसान समान रूप से 1/3—1/3 रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा पक्षकारान ने 15 वर्ष पूर्व उक्त आराजीयात का अपने अपने हिस्से के अनुसार मनबट के आधार पर मौके पर बंटवारा कर रखा है। हाल ही में तहसील आमेर का सेटलमेन्ट हुआ जिसमें वादग्रस्त आराजीयात के नये खसरा नंबर 140, 141, 173, 182, 183, 192, 198, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 219, 223, 146 एवं 196/579 कुल किता 18 कुल रकबा 5.90 हैक्टेयर बने जिसका गलत विरासत का नामान्तकरण अप्रार्थीया के पिता लक्ष्मण एवं अप्रार्थी संख्या 2

राजस्व ... प्राधिकारी

छीतर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया जबकि मृतक मूल्या ने अप्रार्थी संख्या 1 के पिता लाला एवं अप्रार्थी संख्या 2 छीतर को कभी भी गोद नहीं लिया बल्कि वे आज भी अप्रार्थी संख्या 1 स्वर्गीय बालाबक्श की चल व अचल सम्पत्ति पर काबिज है एवं अप्रार्थी संख्या 2 स्व. नारायण की अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। कानूनन केवल एक ही व्यक्ति हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् गोद जा सकता है जबकि नामान्तकरण में स्वर्गीय देवा व बालाबक्श के समस्त वारिसों के नाम से भरा गया था एवं प्रार्थीगण को बिना जानकारी के अप्रार्थीगण ने साज कर भरा था इस प्रकार प्रार्थीगण उक्त आराजीयात में अपना नाम घोषणा करवाने के अधिकारी है तथा मृतक मूल्या का समस्त क्रियाकर्म भी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ता दो ने अपने अपने हिस्से के अनुसार किये है। जमीनो के भाव बढने से अप्रार्थी संख्या एक व अप्रार्थी संख्या दो की नियत में बेईमानी आ गई है व उक्त आराजीयात में से प्रार्थीगण को हिस्से को नकारने लगे है तथा अपने नाम के गलत इन्द्राज का नाजायज लाभ फायदा उठाने के लिये कुछ समय पूर्व कुछ व्यक्तियो के साथ आराजीयात पर आये एवं प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात से जबरन बेदखल करने की धमकी दी। इस कारण दौराने दावा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना आवश्यक हुआ है। यदि अप्रार्थीगण को रोका नहीं गया तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित हो सकती है। प्रथमदृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है। अंत में अनुतोष चाहा है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दौराने दावा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि विवादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में अप्रार्थीगण दखलअंदाजी न करे और ना ही किसी अन्य से करावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की सुनवाई कर अपने निर्णय दिनांक 15.06.2018 के माध्यम से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसका जवाब रेस्पोडेन्ट्स/अप्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की ओर से उक्त सम्पत्ति पैतृक होने का तथ्य एवं उसका विभाजन नहीं होने के तथ्यों को स्वीकार किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों को समझे बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो गलत है। इस कारण अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.06.2018 खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को साबित करने का भार अपीलान्ट्स पर था जिसमें वे असफल रहे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के गहन परीक्षण पश्चात् अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस कारण अपीलान्ट की अपील आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि प्रार्थी/अपीलान्ट्स द्वारा

राजस्व ...ल प्राधिकारी
जयपुर

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.06.2018 को खारिज फरमा दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मृतक मूल्या की आराजीयात में से अपने हिस्से 1/3 की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया वाद विचाराधीन है। उक्त विवादग्रस्त आराजीयात बाबत पूर्व में भी रेस्पोडेन्ट्स द्वारा घोषणा का वाद संख्या 330/2005 नन्दा बनाम छीतर प्रस्तुत किया गया था जिसमें वर्णित सजरा खानदान एवं अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित सजरा खानदान एकसमान है। जिससे स्पष्ट है कि देवा, बींज्या एवं बिरदा सगे भाई है जिनका अन्य सगा भाई नन्दा का पौत्र मूल्या नाऔलाद फौत हो गया। जिसके हक हिस्से की घोषणा का विवाद अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट एक ही संयुक्त हिन्दू रूपा के वंशज है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलान्ट का प्रथमदृष्टया मामला बनना पाया जाता है। चूंकि विवादग्रस्त आराजीयात में साक्ष्य के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद का निस्तारण होना अभी शेष है। इस कारण यदि विवादग्रस्त आराजीयात के बेचान एवं मौके की यथास्थिति कायम किये जाने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं किया गया तो विवादग्रस्त आराजीयात में विवाद की बाहुल्यता बढने की संभावना है एवं इससे प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित हो सकती है जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2018 खारिज किया जाकर रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण को वाद के अंतिम निर्णय तक वादग्रस्त आराजीयात के बेचान न करने एवं राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर